न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

मुकदमा नम्बर :–01 / 2023

(सी.सी.एम.एस.नम्बर 2023 / 6)

राजस्थान सरकार जरिये समीक्षा दिनकर, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर

—————— प्रार्थी

बनाम

1–रंजीत यादव पुत्र श्री भगवानसिंह यादव निवासी ग्राण्डील मोहल्ला धौलपुर
2–अजय सिंह पुत्र श्री पप्पू उम्र करीब 22 वर्ष जाति खटिक निवासी शारदे स्कूल के पास प्रेमनगर कॉलोनी गौशाला धौलपुर

————–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1 – प्रार्थी की ओर से :– दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2 – अप्रार्थी की ओर से :– श्री रामविहारी लाल एडवोकेट

निर्णय *दिनांक* 04.07..2023

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि जिला रसद अधिकारी धौलपुर के साथ दिनांक 11.01.2023 को धौलपुर शहर के कालीमाई रोड छोटी रेलवे लाईन फाटक के पास स्थित पीताम्बरा ऑटो पार्टस एण्ड गैराज के गोदाम पर घरेलू एलपीजी की अवैध रिफलिंग एंव दुरूपयोग के सम्बध में जांच करने पहुचे। मौके पर पीताम्बरा ऑटो पार्टस एण्ड गैराज के गोदाम में कुल 08 घरेलू गैस सिलेण्डरों रखा पाया जाना एवं अवैध रिफलिंग कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर दुकान में अजय सिंह पुत्र श्री पप्पू उम्र करीव 22 वर्ष जाति खटिक निवासी शारदे स्कूल के पास प्रेमनगर कॉलोनी गौशाला धौलपुर उपस्थित मिला जिसने स्वंय को दुकान का हैल्पर होना बताया। श्री अजय द्वारा बताया गया कि वह दुकान पर ऑटो में घरेलू गैस सिलेण्डर से एलपीजी रिफलिंग का कार्य करता है उनके द्वारा ऑटो में गैस 90 रूपये प्रति किग्रा. की दर से भरना बताया तथा दुकान पर पाये गये कुल 08 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 05 घरेलू गैस सिलेण्डर(एच. पी.सी.एल.) मैसर्स शिवेन गैस एजेंसी धौलपुर से बिना बुकिंग तथा बिना बिल के लिया

जाना बताया एवं 03 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन मार्का गैस एजेंसी मनिया से बिना बुकिंग के मंगाया जाना बताया। श्री अजय द्वारा उक्त पीताम्बरा ऑटो पार्टस एण्ड गैराज का मालिक रंजीत यादव पुत्र श्री भगवान सिंह यादव निवारी ग्राण्डील मौहल्ला धौलपुर का होना बताया उसके द्वारा रंजीत यादव से प्रतिमाह 7000/–रू0 मजदूरी पर काम किया जाना बताया। मौके पर अपना छोटा 05 लीटर क्षमता वाला गैस सिलेण्डर भरवाने आये उपभोक्ता श्री कृष्णा पुत्र विनोद निवासी बजरिया धौलपुर से पूछताछ की गई जिनके द्वारा आवश्यकता होने पर स्वंय के छोटे गैस सिलेण्डर को पीताम्बरा ऑटो पार्टस एण्ड गैराज से भरवाया जाना बताया। गैस की कीमत 90/–रू0 प्रति किग्रा. की दर देय करना बताया। मौके से कुल 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 01 इलैक्ट्रोनिक कांटा, 01 बेनामी रिफलिंग मोटर मय 02 गैस पाईप व इलैक्ट्रिक तार, 01 बांसुरी तथा 05 लीटर क्षमता बाला 01 सिलेण्डर जब्त किया गया। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधों का उल्लंघन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया जाकर धौलपुर शहर स्थित शिवेन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र पुत्र निरोतीलाल उम्र करीव 26 वर्ष जाति गौड निवासी आनन्द नगर धौलपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 82.2 किग्रा. तथा 01 इलैक्ट्रोनिक कांटा, 01 बेनामी रिफलिंग मोटर मय 02 गैस पाईप व इलैक्ट्रिक तार, 01 बांसुरी तथा 05 लीटर क्षमता बाला 01 सिलेण्डर को राजसात करने की प्रार्थना की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मूल फर्द अभिग्रहणनामा, फर्द सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्शा, बयान मूल किता–02 पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के संबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री रामबिहारी लाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में जब्तशुदा सिलेण्डर व अन्य सामान का प्रार्थी उपयोग नहीं करता है ना ही उक्त जब्तशुदा सामान से प्रार्थी का कोई सम्बध सरोकार है। प्रार्थी को उक्त जब्त शुदा आर्टीकल को राजसात करने में कोई आपत्ति नहीं है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वक्त जांच अप्रार्थी ने घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग ऑटो में भरना स्वीकार किया है। मौके पर अप्रार्थी से घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग के सबंध में पूछताछ करने पर कोई सन्तोषप्रद जबाव नहीं दिया और न ही कोई वैध दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत कर सका। मौके पर जब्त धरेलू गैस सिलेण्डर एवं अन्य सामान अप्रार्थी का ही है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है उक्त आदेश के उल्लघंन पाये जाने पर मौके पर जब्त गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा गैस सिलेण्डर व अन्य सामान का प्रार्थी उपयोग नहीं करता है ना ही उक्त जब्तशुदा सामान से प्रार्थी का कोई सम्बध सरोकार है। प्रार्थी को उक्त जब्त शुदा आर्टीकल को राजसात करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण को विधि सम्मत निस्तारण किया जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 11.01.2023 को घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग की जांच के दौरान मौके पर अप्रार्थी से अवैध रिफिलिंग स्थल पर कुल 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 01 इलैक्ट्रोनिक कांटा, 01 बेनामी रिफलिंग मोटर मय 02 गैस पाईप व इलैक्ट्रिक तार, 01 बांसुरी तथा 05 लीटर क्षमता का 01 सिलेण्डर उपलब्ध पाये जिनका प्रयोग घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग में किया जाना अप्रार्थी ने अपने बयानों में स्वीकार किया है जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों से ऑटो में गैस भरा जाना स्वीकारा गया है। दौराने पूछताछ एवं जॉच अप्रार्थी कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सका ना ही कोई वैध दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किये। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का मिलना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग ऑटो रिक्शाओं में अवैध रिफिलिंग का कार्य करता है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधों का उल्लंघन है। यदि अप्रार्थी द्वारा किये गये इस कृत्य को नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार के अवैध कृत्य करने का साहस करेगें। जो कानूनन सही नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 82.2 किग्रा. तथा 01 इलैक्ट्रोनिक कांटा, 01 बेनामी रिफलिंग मोटर मय 02 गैस पाईप व इलैक्ट्रिक तार, 01 बांसुरी तथा 05 लीटर क्षमता का 01 सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना संबधित ऑयल मार्केटिग कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु संबधित ऑयल मार्केटिग कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी सुरक्षा उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल मार्केटिग कम्पनी ही करेगी। संबधित ऑयल मार्केटिग कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल मार्केटिग कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह उपरोक्तानुसार संबधित ऑयल मार्केटिग कम्पनी के मार्फत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर व रेग्यूलेटर्स का व अन्य सामान का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। जिला रसद अधिकारी आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)